



प्रासूप-6

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/2018

दिनांक-05/06/2020


आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत श्रीमती निर्मला शर्मा व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि शाहपुरा - भीलवाडा जिनकी जन्म तिथि:- 27.12.1962 ने दिनांक 13.04.2020 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 13.07.2020 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाही है।

अतः श्रीमती निर्मला शर्मा, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि शाहपुरा - भीलवाडा को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 13.07.2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्रीमती निर्मला शर्मा के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(सौरभ स्वामी)

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा निवृत्ति/2020/38
प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

दिनांक-05/06/2020

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
3. संबन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि.
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड हेत
5. संबन्धित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
6. प्रधानाचार्य, राउमावि शाहपुरा - भीलवाडा
7. श्रीमती निर्मला शर्मा, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि शाहपुरा - भीलवाडा
8. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर